न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 180 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. गीगाराम पुत्र गुणेशाराम 2. वोताराम पुत्र गुणेशाराम जाति कलबी निवासी जूनामीठाखेड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. कानाराम पुत्र सोनाराम उम्र 70 वर्ष 2. हटाराम पुत्र सोनाराम उम्र 60 वर्ष 3. कलाराम पुत्र बुधराराम उम्र 45 वर्ष 4. रामाराम पुत्र डायाराम उम्र 22 वर्ष 5. सूजोदेवी पत्नि मिसराराम उम्र 40 वर्ष 6. सुरेश पुत्र डायाराम उम्र 19 वर्ष 7. ढपीदेवी पत्नि शोभाराम उम्र 65 वर्ष 8. धन्नाराम पुत्र शोभाराम उम्र 35 वर्ष 9. नेनाराम पुत्र शोभाराम उम्र 34 वर्ष 10. मंगलाराम पुत्र शोभाराम उम्र 45 वर्ष जाति कलबी निवासी बोरला जुनामीठाखेडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 11. कालूराम पुत्र तेजाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बोरला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 12. धुडीदेवी पत्नि चौनाराम उम्र 45 वर्ष 13. पेम्पोदेवी पत्नि चौनाराम उम्र 40 वर्ष जाति कलबी निवासी बोरला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 14. रतिराम पुत्र खेताराम उम्र 50 वर्ष जाति कलबी निवासी चौधरीयी की ढाणी 15. वदणोदेवी पत्नि भूराराम उम्र 45 वर्ष 16. धुडाराम पुत्र वजाराम उम्र 47 वर्ष 17. डूंगराराम पुत्र चुतराराम उम्र 55 वर्ष 18. मंगनाराम पुत्र लछमणाराम उम्र 80 वर्ष 19. हेमाराम पुत्र मगनाराम उम्र 62 वर्ष जाति [illegible] जुनामीठाखेडा 20. पनाराम [illegible] उम्र 65 वर्ष 21. [illegible] उम्र 70 वर्ष 22. [illegible] पुत्र [illegible]राराम उम्र 50 वर्ष 23. हीराराम पु[illegible] कलाराम उम्र 80 वर्ष जाति राईका निवासीयान जुनामीठा खेडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा । 24. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति

1. श्री पाबुराम बेनीवाल, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा जूनामीठाखेडा पटवार क्षेत्र जूनामीठाखेडा तहसील सिणधरी के खसरा नम्बर 687/304 रकबा 3.1793 हैक्टेयर व मौजा बोरला खसरा नम्बर 285/238 रकबा 8.5835 हैक्टेयर तथा मौजा गोलिया भाटा खसरा नम्बर 929/164, 931/185 रकबा क्रमशः 2.7425, 5.6630 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा जूनामीठाखेडा पटवार क्षेत्र जूनामीठाखेडा तहसील सिणधरी के खसरा नम्बर 687/304 रकबा 3.1793 हैक्टेयर व मौजा बोरला खसरा नम्बर 285/238 रकबा 8.5835 हैक्टेयर तथा मौजा गोलिया भाटा खसरा नम्बर 929/164, 931/185 रकबा कमशः 2.7425, 5.6630 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा जूनामीठाखेडा पटवार क्षेत्र जूनामीठाखेडा तहसील सिणधरी के खसरा नम्बर 687/304 रकबा 3.1793 हैक्टेयर व मौजा बोरला खसरा नम्बर 285/238 रकबा 8.5835 हैक्टेयर तथा मौजा गोलि[illegible] खसरा नम्बर 929/164, 931/185 रकबा कमशः 2.7425, 5.6630 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा जूनामीठाखेडा पटवार क्षेत्र जूनामीठाखेडा तहसील सिणधरी के खसरा नम्बर 687/304 रकबा 3.1793 हैक्टेयर व मौजा बोरला खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नम्बर 285/238 रकबा 8.5835 हैक्टेयर तथा मौजा गोलिया भाटा खसरा नम्बर 929/164, 931/185 रकबा क्रमशः 2.7425, 5.6630 हैक्टेयरकी पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा जूनामीठाखेडा पटवार क्षेत्र जूनामीठाखेडा तहसील सिणधरी के खसरा नम्बर 687/304 रकबा 3.1793 हैक्टेयर व मौजा बोरला खसरा नम्बर 285/238 रकबा 8.5835 हैक्टेयर तथा मौजा गोलिया भाटा खसरा नम्बर 929/164, 931/185 रकबा क्रमशः 2.7425, 5.6630 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जूनामीठाखेडा पटवार क्षेत्र जूनामीठाखेडा तहसील सिणधरी के खसरा नम्बर 687/304 रकबा 3.1793 हैक्टेयर व मौजा बोरला खसरा नम्बर 285/238 रकबा 8.5835 हैक्टेयर तथा मौजा गोलिया भाटा खसरा नम्बर 929/164, 931/185 रकबा क्रमशः 2.7425, 5.6630 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी